मुख्य मंत्री राहत कोष के लेखाओं का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2011 से 31.03.2013

भाग–एक

1 गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :–

गत लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई का सत्यापन करने के उपरान्त पुराने ऑडिट पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "A"** पर दिया गया थे।

भाग–दो

2 वर्तमान लेखा परीक्षा :–

मुख्य मंत्री राहत कोष के अवधि 4/2011 से 3/2013 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल कुमार अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 16.01.2014 से 04.02.2014 के दौरान सचिवालय परिसर शिमला में सम्पन्न किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 03/2012 व 03/2013 और व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 09/2011 व 08/2012 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, सम्बन्धित संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 लेखा परीक्षा शुल्क :–

मुख्य मंत्री राहत कोश के अवधि 01.04.2011 से 31.03.2013 के लेखाओं के का अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹9600/– आंका गया। अनुभाग अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 19/2014, दिनांक 4.02.2014 जारी करके उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को शीघ्र भेजने हेतू आग्रह किया गया।

4 **वित्तीय स्थिति** :–संस्था द्वारा मुख्य मंत्री राहत कोष के अवधि 01.04.2011 से 31.03.2013 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गईः–

Financial Position

Year	Opening Balance	Income	Interest Received	Total	Expenditure	Closing Balance
2011–12	56902580	37811370	2668160	97382110	57678819	39703291
2012–13	39703291	52760796	6934581	99398668	84605842	14792826

उपरोक्त वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2013 को ₹14792826/— का अन्तिम शेष था जबकि विभिन्न जमा खातों में दिनांक 31.03.2013 को निम्नविवरणानुसार अन्तिम शेष ₹15328706.80 था। इस प्रकार वित्तीय स्थिति और बैंक खातों के अन्तिम शेष के बीच ₹535880.80 का अन्तर पाया गया जिसका समायोजन एवं मिलान किया जाना वांन्छित था। अतः आवश्यक मिलान करके खातों में आवश्यक समायोजन किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को शीध्र अवगत करवाया जाए।

Balance as per UCO Saving Bank Account A/C 5028	₹539620
HPSC Saving Bank Account 315	₹14588461.80
FDR Account	₹200625
Total	**₹15328706.80**
Difference	**₹535880.80**

5 बैंक समाधान विवरण न बनाये जाने के कारण रोकड़ बही और बैंक खाते में ₹1115938.80 का अन्तरः—

दिनांक 31.3.2013 को मुख्य मन्त्री राहत कोष की रोकड़ बही और बैंक खातों की स्थिति निम्न प्रकार से थीः—

क्र0सं0	रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31.3.2013 का शेष		बैंक में वास्तविक जमा दिनांक 31.3.13	
	विवरण	राशि (₹)	विवरण	राशि (₹)
1	Balance of HPSC Bank Acoount 315	13472523	Balance of HPSC Bank Acoount 315	14588461.80
2	Balance of Uco Bank Account 5028	539620	Balance of Uco Bank Account 5028	539620.00
3	FDR Balace	200625	FDR Balace	200625.00
	कुल योग	**14212768**	कुल योग	**15328706.80**

रोकड़ बही व बैंक में जमा राशि में कुल अन्तर	**1115938.80**
रोकड़ बही व बैंक में जमा राशि में वर्ष 2009—11 से सम्बन्धित अन्तर	**633544.80**
रोकड़ बही व बैंक में जमा राशि में वर्ष 2001—13 से सम्बन्धित अन्तर	**482394.00**

इस प्रकार रोकड़ बही व बैंक में जमा राशि में ₹1115938.80 का अन्तर था। इस राशि में ₹633544.80 का अन्तर वर्ष 2009–10 और 2010–11 से सम्बन्धित था जिस बारे में अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/09 से 03/2011 के पैरा संख्या 6 में आपत्ति दर्ज की गई थी और शेष ₹482394/– अन्तर का वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 से सम्बन्धित था। संस्था राहत कोष का अधिकतर लेन देन हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉ0आ0 बैंक खाता संख्या 315 से किया गया था और ₹1115938.80 का अन्तर इसी बैंक से सम्बन्धित था जैसा कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है। अंकेक्षण में जाँच करने पर यह भी पाया गया कि संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 से बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाई गई थी। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/04 से 03/2009 तथा 04/2009 से 03/2011 में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु वर्तमान तक इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ वही तथा बैंक खाते के अन्तिम शेष में अन्तर पाया गया। अतः पुनः यह सुझाव दिया जाता है कि वर्ष 2004–05 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाए जिससे बैंक खाते के शेष और रोकड़ वही से शेष के अन्तर का मिलान सम्भव हो सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यूको बैंक खाता संख्या 5028 से सम्बन्धित प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि जमा राशि पर अर्जित ब्याज की ₹19320/– (₹9069+₹10251) जोकि वर्ष 2010–11 से सम्बन्धित थी को 2010–11 के दौरान रोकड़ बही में लेखाकिंत नहीं किया गया था। इस अर्जित ब्याज की राशि का लेखांकन दिनांक 31.03.2013 को रोकड़ वही पृष्ठ संख्या 41 पर किया गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012–13 के दौरान अर्जित ब्याज की राशि की प्रविष्टि भी दिनांक 31.3.2013 को ही की गई थी जबकि बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज वित्तीय वर्ष के दौरान दो बार दिया जाता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि बैंक द्वारा दिए गए ब्याज की प्रविष्टियाँ समय–2 पर की जाएं तथा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए जिससे इस तरह की चूक से परिहार किया जा सके।

6 आंबटित की गई राशि के उपयोग के उपरान्त शेष बची राशि के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख को तैयार न किया जानाः–

रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं को विविभन्न प्रयोजनों हेतु मुख्यमन्त्री राहत कोष से राशि आंबटित की गई थी परन्तु आंबटित राशि के उपयोग के उपरान्त शेष बची राशि के सम्बन्ध में कोई अभिलेख तैयार नहीं किए गए थे अपितु शेष बची राशि को रोकड़ वही में "Unspent money received back" शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया गया था। वस्तुतः मुख्यमन्त्री राहत कोष कार्यालय द्वारा कुल स्वीकृत एवं जारी की गई राशि उपयोग की गई राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित व शेष प्राप्त योग्य राशि के सम्बन्ध में अभिलेख तैयार किया जाना वांन्छित था जिससे विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा शेष बची राशि जो उनके द्वारा वापिस भिजवाई जा रही है

अथवा वापिस भिजवाई जा चुकी है का मिलान किया जा सके। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2009 से 03/2011 के पैरा संख्या 11 में भी इस बारे में आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु वर्तमान तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि उपयोग उपरान्त शेष बची राशि के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख शीध्र तैयार किए जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को अतिशीध्र सूचित किया जाए।

दिनांक	प्राप्त राशि	रोकड़ बही पृ0सं0
30.5.2011	254239	79
30.5.2011	25560	80
03.09.2011	14000	99
19.03.2012	17367	137
31.03.2012	2000	140
01.03.2013	5000	31
16.03.2013	19660	37
16.03.2013	14948	37
16.03.2013	33145	37
22.03.2013	3467	39
07.04.2013	20000	143

7 रोकड़ बही में प्राप्त राशि के स्त्रोत के बारे में विवरण दर्ज नहीं किया जानाः–

मुख्यमंत्री राहत कोष की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि निम्न मामलों में रोकड़ बही में प्राप्त राशि की प्रविष्टि तो की गई थी परन्तु यह राशि कहाँ से और किससे प्राप्त की गई थी इसके बारे में तथ्यों सहित विवरण नहीं दिया गया था। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2009 से 03/2011 के पैरा संख्या 10 में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः प्राप्त राशि के स्त्रोत के बारे में रोकड़ वही में प्रविष्टि करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

दिनांक	प्राप्त राशि	रोकड़ बही पृ0सं0
8.4.2011	200000	71
30.4.2011	655000	73
22.6.2011	265373	84
02.07.2011	200000	86
05.03.2012	100000	135

8 सावधि निवेश रजिस्टर का न बनाया जानाः–

दिनांक 31.3.2013 तक मुख्य मंत्री राहत कोष से ₹200625/– सावधि जमा में निवेश की गई दर्शाई गई थी, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "क"** में दिया गया है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा सावधि निवेश का रजिस्टर नहीं बनाया गया था। अतः निवेश से सम्बन्धित रजिस्टर न बनाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और भविष्य में सावधि निवेश से सम्बन्धित रजिस्टर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए और इस रजिस्टर में सावधि निवेश से सम्बन्धित सभी तथ्य आंकड़े लेखांकित किए जाएं।

9 जिलाधीशों द्वारा जिला राहत कोष का 50% भाग मुख्यमंत्री राहत कोष खाते में जमा न करवाना :–

सचिव (सामान्य प्रशासन हिमाचल प्रदेश सरकार) के पत्र संख्या 21–2/71–जी0ए0डी0, दिनांक 15.09.92 के अनुदेशों के अनुसार जिला राहत कोष में प्रत्येक वर्ष के दौरान एकत्रित राशि का आधा भाग अर्थात 50% भाग मुख्य मंत्री राहत कोष में जमा करवाना आवश्यक है परन्तु विभिन्न जिलाधीशों द्वारा उक्त प्रावधान के अनुसार अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त सभी सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा जिला राहत कोष में कुल प्राप्त ब्याज की राशि का विवरण भी मुख्यमंत्री राहत कोष को प्रस्तुत नहीं की जा रहा है। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2009 से 03/2011 के पैरा संख्या 7 में भी सुझाव दिया गया था कि समस्त जिलाधीशों द्वारा जिला राहत कोष में प्राप्त राशि का 50**%** भाग मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए परन्तु इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः सचिव, सामान्य प्रशासन, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 21–2/71–जी0ए0डी0 दिनांक 15.09.92 के प्रावधानों के अनुसार जिला राहत कोष में प्राप्त आय का 50**%** भाग जमा न करवाने का मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि समस्त जिलाधीशों से जिला राहत कोष में जमा राशि का वर्षवार ब्यौरा प्राप्त किया जाए और उनके प्राप्त राशि का 50**%** भाग उपरोक्त पत्र में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार मुख्यमन्त्री राहत कोष जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

10 विभिन्न व्यक्तियों को आंबटित राशियों से सम्बन्धित वास्तविक रसीदें एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्राप्त न किया जानाः–

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि मुख्यमन्त्री राहत कोष से विभिन्न उद्देश्यों/प्रयोजनों हेतु राशि आंबटित/जारी की गई परन्तु जारी की गई राशि के सन्दर्भ में वास्तविक भुगतान की प्राप्ति रसीदें तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। इस प्रकार के कुछेक प्रकरण अंकेक्षण हेतु चयनित मासों पाये गये थे जिनका विवरण **परिशिष्ट "ख"** दिया गया है। इन प्रकरणों के अतिरिक्त इसी

प्रकार के अन्य प्रकरणों में भी जहाँ वास्तविक भुगतान की रसीदें अथवा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए है, की संस्था द्वारा अपने स्तर पर जाँच की जाए और वास्तविक भुगतान रसीदें तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाएं जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 **लघु आपत्ति विवरणिका :—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

12 **निष्कर्ष :—** लेखों में विशेष रूप से रोकड़ बही के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ ही गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीध्र आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता/—

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)सी(15)(14)28/76 खण्ड—5—21.5.14, दिनांक, शिमला—171009.

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 1. उप सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—171002 को इस आश्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2 श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....................

हस्ता/—

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "A"   पैरा 1 के सन्दर्भ में

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/81 से 3/83

1	पैरा 3(बी)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/88

1	पैरा 3(सी) व (डी)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(3)	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/89

1	पैरा 6(1)(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(1)(2)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

1	पैरा 7(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 10	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/94

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 11	अनिर्णीत
3	पैरा 12	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/98

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99

1	पैरा 3(3)	अनिर्णीत

2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2000

1	पैरा 3(3)	अनिर्णीत
2	पैरा 4	अनिर्णीत
3	पैरा 5	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2002

1	पैरा 3(1)(2)(3)	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत
6	पैरा 10	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2004

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 6(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2009

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 10(1)	अनिर्णीत

3	पैरा 10(2)	अनिर्णीत	
4	पैरा 12	अनिर्णीत	

(ठ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क दिनांक 27.09.2011 को बैंक ड्राफ्ट संख्या 247574 द्वारा भेज दिया गया है)
2	पैरा 4	अनिर्णीत	
3	पैरा 5	निर्णीत	(सावधि निवेश की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5 में समाविष्ट है)
4	पैरा 6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 में समाविष्ट है)
5	पैरा 7	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 में समाविष्ट है)
6	पैरा 8	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 में समाविष्ट है)
7	पैरा 9	अनिर्णीत	
8	पैरा 10	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 9 में समाविष्ट है)
9	पैरा 11	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में समाविष्ट है)
10	पैरा 12	निर्णीत	(पैरा अनुसार कार्यवाही के उपरान्त)

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	51
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्णीत किए गए गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरे	8
अन्तशेष (अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/09 से 3/11 तक)	43